National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) के अन्तर्गत
On Farm Water Management (OFWM) योजनान्तर्गत
वर्ष 2014–15 से देय राज सहायता का विवरण

- OFWM में योजना में कृषि एवं औद्यानिक फसलों के क्षेत्र विस्तार घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापना की कुल लागत का सामान्य श्रेणी के कृषकों को अधिकतम 5.0 है0 क्षेत्रफल तक 35 प्रतिशत केन्द्रांश व 10 प्रतिशत राज्यांश की राजसहायता एवं लघु/सीमान्त कृषकों को भी अधिकतम 5.0 है0 क्षेत्रफल तक 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार व 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में दिया जायेगा।
- पूर्व में संचालित योजना NMMI में प्रक्षेत्र पर तकनीकी प्रर्दशन घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों को 0.5 है0 की सीमा तक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना लागत का निर्धारित मानकों के अनुसार 75 प्रतिशत राजसहायता देय थी, जिसे नई योजना के अन्तर्गत नहीं रखा गया है।
- वर्ष 2014–15 से योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना लागत की दरों में भी परिवर्तन किया गया है।
- योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी को प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों तक पहुचाने हेतु मानव संसाधन एवं विकास घटक के अन्तर्गत निर्धारित मानकानुसार केद्रांश के रूप में शतप्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।
- राज सहायता का घटकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क0 सं0	घटक	विवरण	देय राज सहायता	अधिकतम सीमा
अ.	सूक्ष्म सिंचाई	सिचांई हेतु ड्रिप एवं विभिन्न प्रकार के स्प्रिंकलरों की स्थापना पर कृषकों, स्वयं सहायता समुहों, सहकारिता समिति, गैर सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थायें एवं उत्पादक संघ आदि को अनुदान देय है।	लघु एवं सीमान्त कृषकों को 50:10 प्रतिशत के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान तथा 40 प्रतिशत कृषकांश। सामान्य श्रेणी के कृषकों को 35:10 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान तथा 55 प्रतिशत कृषकांश।	अधिकतम 5 है0 प्रति लाभार्थी
ब.	प्रक्षेत्र पर जल का प्रयोग एवं वितरण	प्रक्षेत्र के उचित स्थान पर नहर अथवा किसी जल श्रोत से जुडे हुए जल के द्वितीय संग्रहण व्यवस्था हेतु सुरक्षा बाड़ सहित ढांचे का निर्माण	50 प्रतिशत लागत व्यय आधारित राजसहायता अधिकतम रु. 100/– प्रतिघन मीटर संग्रहण क्षमता ।	2.00 लाख प्रति लाभार्थी
स.	मानव संसाधन	माइक्रोएरीगेशन तकनीकी को कृषकों तक पहुॅचाने हेतु प्रशिक्षण का क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर आयोजन	रु. 50000/– प्रति प्रशिक्षण (दो से तीन दिन के प्रशिक्षण मे 30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु)।	––

- योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को **''सी''** श्रेणी में रखा गया है, जिसके आधार पर कुल स्थापना लागत का 25 प्रतिशत अतिरिक्त सम्मिलित करते हुए राजसहायता का निर्धारण किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	**मद का नाम**	**धनराशि (रु. में)**				
		1.0 है0	**2.0 है**	**3.0 है0**	**4.0 है**	**5.0 है0**
अ.	**टपक सिंचाई**					
अधिक दूरी की फसलें						
1	8 मीटर एवं अधिक	29,375	47,625	73,750	92,625	1,17,750
2	4 मीटर से < 8 मीटर	42,375	75,625	1,11,625	1,41,500	1,78,000
3	2 मीटर से < 4 मीटर	73,000	1,35,000	2,02,250	2,75,750	3,39,375
कम दूरी की फसलों हेतु						
4	1.2 मीटर से < 2 मीटर	1,06,750	2,01,625	3,04,250	4,16,000	5,16,000
5	< 1.2 मीटर	1,25,000	2,41,875	3,65,125	4,99,250	6,19,250
ब	**फौव्वारा सिंचाई**					
1	माईक्रो स्प्रिंकलर	73,625 प्रति है0				
2	मिनी स्प्रिंकलर	1,06,500 प्रति है0				
3	पोर्टेबल स्प्रिंकलर	24,500 प्रति है0				
4	रैनगन	39,500 प्रति है0				